भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1730

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

मुंबई में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन

1730. श्री संजय दिना पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवश्यक खाद्यान्नों की उपलब्धता, पहुंच और समय पर वितरण के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान मुंबई में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मुंबई में विभिन्न खाद्य सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, उठाए गए और वितरित किए गए खाद्यान्न का ब्यौरा क्या है, और इससे कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को मुंबई में अनियमितताओं, खाद्यान्न के विपथन, प्रमाणीकरण विफलताओं या उचित दर दुकानों के अपर्याप्त कामकाज के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुंबई में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता, डिजिटल निगरानी, लाभार्थी प्रमाणीकरण, शिकायत निवारण और खाद्यान्न के कुशल वितरण को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): जी हाँ। एनएफएसए, 2013 के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन के आकलन हेतु समवर्ती मूल्यांकन कराया गया। इस मूल्यांकन के निष्कर्ष राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर तैयार किए गए हैं, न कि शहर स्तर पर।

महाराष्ट्र राज्य का सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में प्रदर्शन सुदृढ़ है। पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत सेवा प्रदायगी का आकलन उचित दर दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण प्रणाली की दक्षता, नियमितता, सुगमता तथा गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। इस आकलन में पूर्ण पात्रता के अनुसार खाद्यान्न की प्राप्ति, राशन वितरण की नियमितता, उचित तौल की व्यवस्था, प्रतीक्षा समय, उचित दर दुकान तक पहुँच की सुगमता, एक ही बार में खाद्यान्न प्राप्ति की सुविधा तथा उचित दर दुकान की सेवाओं एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता के प्रति लाभार्थियों की संतुष्टि जैसे प्रमुख प्रचालनात्मक आयामों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के सेवा प्रदायगी के प्रदर्शन संकेतक **अनुबंध**-I में दिए गए हैं।

...2/-

टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न का उठान एवं वितरण एक सतत प्रक्रिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता/पात्रता के अनुसार टीपीडीएस के अंतर्गत वितरण के लिए केंद्रीय पूल से खाद्यान्न का उठान करते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भविष्य के वितरण चक्रों के लिए अग्रिम रूप से (आपूर्ति श्रृंखला की जरूरतों के आधार पर अधिक मात्रा) खाद्यान्न उठाने की भी अनुमति है। खाद्यान्न का आबंटन राज्यवार किया जाता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न के आबंटन, उठान तथा वितरण का विवरण **अनुबंध**-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, उनके आबंटन तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के नामित डिपो तक उनके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों को लाइसेंस जारी करना तथा उचित दर दुकानों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि का दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निवारण और लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रृंखला नंबर कार्यरत है। पीडीएस से संबंधित कोई भी शिकायत/समस्या जब भी किसी स्रोत से इस विभाग को प्राप्त होती है, तो उसे जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/ लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों अथवा लाभार्थी के बायोमीट्रिक सत्यापन में कठिनाई के कारण बायोमीट्रिक/आधार प्रमाणीकरण विफल होने की स्थिति में किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को रियायती दर पर पात्र खाद्यान्न के उनके निर्धारित कोटे से वंचित न किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. **डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग**: सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस 100% डिजिटाइज़ हो गया है; 99.7% राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं, जिससे फ़र्ज़ी/डुप्लिकेट राशन कार्डों को हटाया गया है।

ii. **पारदर्शिता और शिकायत निवारण:** सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण/टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालित हैं।

...3/-

iii. **ऑनलाइन आबंटन और आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण:** सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया; 31 राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण किया गया (चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और शहरी दादरा और नगर हवेली को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण अपनाया है)।

iv. **उचित दर दुकानों स्तर पर ईपीओएस-आधारित आधार प्रमाणीकरण:** 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से 5.50 लाख (99.8%) दुकानों को ईपीओएस डिवाइस से स्वचालित किया गया है, जिससे वितरण के समय लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है और राशन की हेराफेरी पर रोक लगती है।

v. **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी):** सभी 36 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू की गई, जिसमें पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं; अब तक 221 करोड़ से ज़्यादा पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए गए हैं, जिससे लाभार्थियों के छूटने और डुप्लिकेट दावे करने की समस्या कम हुई है।

vi. **वास्तविक पात्र लाभार्थियों को लक्षित करना:** आधार/पीडीएस डाटा विश्लेषण का इस्तेमाल करके लाभार्थियों की पहचान को सही करने और डुप्लीकेट एंट्री हटाने की एक विशेष मुहिम चलाई गई। इससे अयोग्य/डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें हटाया गया; इसमें 5.95 करोड़ लाभार्थियों को चिह्नित किया गया (ज़मीन के मालिकाना हक वाले मामलों को छोड़कर) और 2.35 करोड़ लाभार्थियों को हटाया गया।

vii. **स्मार्ट-पीडीएस सुधार पहल:** इसे राशन कार्ड प्रबंधन, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण के मॉड्यूल के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि राज्य-स्तर पर टीपीडीएस के प्रचालन को और अधिक मानकीकृत तथा डिजिटल रूप से एकीकृत किया जा सके।

viii. **निर्मल और सक्षम:** सार्थक-पीडीएएस व्यापक योजना (2026-31) के तहत नई पहलें, जिनका उद्देश्य डाटा वास्तुकला/विश्लेषिकी (निर्मल) को सुदृढ़ करना और खाद्यान्न की खरीद से लेकर लाभार्थियों तक वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया (सक्षम) में वास्तविक समय डाटा एकीकरण (वीएलटीएस सहित) सुनिश्चित करना है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 29.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1730 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	अनुमानित प्रतिशत	राज्य%
1.	पूर्ण खाद्यान्न पात्रता प्राप्त करने वाले लाभार्थी	97.4
2.	नियमित रूप से मासिक राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी	97.6
3.	वितरण के दौरान सही तौल होने की रिपोर्ट करने वाले लाभार्थी	94.8
4.	उचित दर दुकान पर एक ही बार में राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी	85.5
5.	30 मिनट के भीतर राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी	85.0
6.	मुख्य रूप से घरेलू उपभोग हेतु राशन का उपयोग करने वाले परिवार	94.5
7.	उचित दर दुकान की सेवाओं तक आसान पहुँच की रिपोर्ट देने वाले लाभार्थी	83.4
8.	उचित दर दुकान की सेवा प्रदायगी से संतुष्ट लाभार्थी	83.0
9.	खाद्यान्न की गुणवत्ता से संतुष्ट लाभार्थी	80.6

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 29.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1730 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	खाद्यान्न	आबंटन	उठान	वितरण	
				मात्रा	लाभार्थियों की संख्या
2023-24	चावल	2947.320	2652.742	2615.601	68,432,163
	गेहूं	1657.868	1475.758	1457.584	
	कुल	4605.188	4128.500	4073.185	
2024-25	चावल	2812.929	2375.589	2563.252	6,80,73,038
	गेहूं	1792.259	1563.727	1552.088	
	कुल	4605.188	3939.316	4115.340	
2025-26	चावल	2715.794	2738.316	2530.895	67,802,516
	गेहूं	1889.393	1601.727	1611.149	
	कुल	4605.187	4340.043	4142.044	
